राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –824 / 2014 / बीकानेर

मैसर्स नगद नारायण फूड प्रोडक्ट्स,
बछीवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ए, बीकानेर।
(ii)उपायुक्त (प्रशासन), बीकानेर। .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित :

श्री नारायण दास,
अभिभाषाक। ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक । ....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक :08.01.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **10.04.2014** के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् प्रस्तुत की है, **जो प्रकरण संख्या–प.4(174)कर / 34 / उपा–दी / 2013–14** के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा–34 के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष **2010–11 का** एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनाक **28.03.2013,** पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या–2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा यह अवधारित किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी ने अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर, आदेश दिनांक **10.04.2014** के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।

आशा कुमारी

लगातार.............2

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2010–11 के निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिसेज जारी किये गये थे परन्तु नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से न तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया एवम् न ही कोई उपस्थित हुआ, ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एकतरफा निर्धारण आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का कथन कि उन्हें निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यें के प्रतिकूल है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी हेतु नियत तिथि दिनांक 19.03.2013 के जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से पत्रांक 2604 दिनंक 17.03.2013 द्वारा निर्धारण अधिकारी को निवेदन किया गया था कि जारी नोटिस के जवाब देने के लिए अपीलार्थी व्यवहारी को रिकॉर्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियॉ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें जिसके आधार पर नोटिस में अंकित आक्षेपों का जवाब प्रस्तुत किया जा सके, परन्तु निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त पत्रों में अंकित दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध कराया जाना ज्ञात नहीं होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विद्वान सक्षम अधिकारी ने भी उक्त पत्र पर विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 में केवल यह निष्कर्ष अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है कि **"…..व्यवहारी को सम्मन दिनांक 19.03.2013 के लिए जारी किया गया था, लेकिन नोटिस तामिली के बावजूद भी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।"** जबकि पत्र क्रमांक 2604 दिनांक 17.03.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अर्जेन्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है,जिसमें निवेदन किया गया है कि **"अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी प्रमाणित छाया प्रतियॉ समयावधि में उपलब्ध करावे जिससे आपके द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.03.2013 का जवाब दावा समय पर प्रस्तुत किया जा सके "**

लगातार…………..4

अपीलीर्थी व्यवहारी के उक्त प्रार्थना पत्र में किये गये निवेदन को निर्धारण अधिकारी ने जरिये पत्रांक 25.03.2013 के अस्वीकार कर दिया जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 17 पर उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाही दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध नही करवायी गई है।

इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन भी किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:–

34(2) Before issuing direction under sub–section (1), **the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him** under sections 22 or clause (b) of sub–section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or ***that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.***

अतः अधिनियम के उक्त विशिष्टि प्रावधानों के आलोक से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी गयी जो एक समुचित कारण था जिसके कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना अपीलार्थी व्यवहारी नहीं कर पाया गया एवम् न ही अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण हेतु उपस्थित हुआ, जिससे निर्धारण अधिकारी एवम् सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को विधिक नहीं माना जा सकता। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करवाकर, उसे सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर एवम् उक्त की तामिली सुनिश्चित करने के उपरांत इस आदेश की प्राप्ति के **दो माह** में पुनः आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करें। जारी नोटिस की पालना में यदि अपीलार्थी व्यवहारी अनुपस्थित रहता है तो निर्धारण अधिकारी एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगें

परिणामतः, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2014 अपास्त कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

आशा कुमारी 08.1.15   8. 1. 2015

(आशा कुमारी)   (मदन लाल)

सदस्य   सदस्य